सतर्क तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

1. प्रस्तावना:

कंपनी व्यावसायिकता, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए अपने व्यवसाय और कामकाज का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी सभी कर्मचारियों को सुरक्षित और नैतिक कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की उप-धारा 9 और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक सतर्क तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है, ताकि उनके निदेशक और कर्मचारी अनैतिक व्यवहार या अनुचित गतिविधि की किसी भी घटना की रिपोर्ट कर सकें।

साथ ही, 1 अक्टूबर, 2014 से लागू पूर्ववर्ती सूचीयन समझौते के संशोधित खंड 49 और अब सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार, सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में निर्देशकों और कर्मचारियों द्वारा चिंताओं की सूचना देने के लिए "व्हिसल ब्लोअर नीति" तैयार करना आवश्यक है।

कर्मचारियों को उनकी पहचान की रक्षा करते हुए कंपनी में गंभीर अनियमितताओं के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए यह नीति तैयार की गई है।

2. परिभाषाएं: -

इस नीति में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

"लेखापरीक्षा समिति" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और शेयर बाजारों के साथ पूर्ववर्ती सूचीयन समझौते के खंड 49 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित, के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति है।

i. **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और इसमें वह व्यक्ति (व्यक्ति) शामिल होगा, जिसे वे समय-समय पर इस नीति के तहत अपनी कोई भी शक्ति सौंपते हैं।

ii. **"कर्मचारी"** का अर्थ कंपनी के रोजगार में निदेशक सहित कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी (चाहे वह भारत में कार्यरत हो या विदेश में) है।

iii. **"जांचकर्ताओं"** का अर्थ वे व्यक्ति हैं जिन्हें संरक्षित प्रकटीकरण की जांच में सहायता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत, नियुक्त किया, से परामर्श लिया या संपर्क किया जाता है और इसमें कंपनी के लेखापरीक्षक और पुलिस शामिल हैं।

iv. **"संरक्षित प्रकटीकरण"** का अर्थ है किसी भी विश्वास में किया गया संचार जो ऐसी सूचना को प्रकट या प्रदर्शित करता है जो अनैतिक या अनुचित गतिविधि का साक्ष्य हो सकता है।

v. **"व्यक्ति"** का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनके खिलाफ या जिनके संबंध में जांच के दौरान कोई संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है या साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं।

vi. **"अनैतिक या अनुचित गतिविधि"** का अर्थ इतने तक ही सीमित नहीं है:

- क) प्राधिकार का दुरुपयोग।
- ख) अनुबंध का उल्लंघन।
- ग) कंपनी के डेटा/रिकॉर्डों में हेराफेरी।
- घ) कोई भी गैरकानूनी कार्य चाहे वह आपराधिक/सिविल हो।
- ङ) जानबूझकर वित्तीय अनियमितता, जिसमें धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी शामिल है।
- च) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए पर्याप्त और विशिष्ट रूप से खतरा पेश करने वाली सकल या स्वैच्छिक लापरवाही।
- छ) अन्य निदेशकों/व्यावसायिक भागीदारों/कर्मचारियों या कमजोर वयस्कों के साथ दुराचार (जैसे शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय उत्पीड़न, शोषण)।
- ज) कंपनी की निधियों/परिसंपत्तियों का अपव्यय/दुरुपयोग।
- झ) कंपनी की नीतियों का उल्लंघन।
- ञ) गोपनीय/स्वामित्व की जानकारी की चोरी।

viii. **"व्हिसल ब्लोअर"** वह है जो इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण करता है।

3. पात्रता:-

नीति के अंतर्गत कंपनी के सभी कर्मचारी संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए पात्र हैं। संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित मामलों के संबंध में हो सकता है।

4. अयोग्यता:-

क. जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक व्हिसल ब्लोअर्स को किसी भी तरह के अनुचित बर्ताव से यहां पर निर्धारित संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है, इस संरक्षण के किसी भी दुरुपयोग पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ख. इस नीति के तहत संरक्षण का अर्थ किसी व्हिसल ब्लोअर द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से उत्पन्न अनुशासनिक कार्रवाई से संरक्षण नहीं होगा जब यह पता चले कि आरोप गलत हैं या गलत मंशा से लगाए गए हैं।

ग. व्हिसल ब्लोअर्स, जो ऐसे संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं जो बाद में बदनीयती या गलत मंशा वाले पाए जाते हैं या व्हिसल ब्लोअर्स जो 3 या अधिक संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, जो बाद में भ्रामक, निराधार या विश्वास रहित सूचित किए जाते हैं, इस नीति के तहत फिर संरक्षित प्रकटीकरण करने के अयोग्य घोषित किए जाएंगे और अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे।

5. प्रक्रिया:-

सभी संरक्षित प्रकटीकरण शिकायतकर्ता द्वारा व्हिसल ब्लोअर को इसके बारे में पता चलने के अधिक से अधिक 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में जल्द से जल्द उसे अंग्रेजी या हिंदी या व्हिसल ब्लोअर की नौकरी के स्थान की क्षेत्रीय भाषा में या तो टाइप करके या पठनीय हस्तलेख में लिखकर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

नियम के अनुसार, अनाम प्रकटीकरण, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

संरक्षित प्रकटीकरण को एक बंद और सुरक्षित लिफाफे में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर सहित प्रावरण पत्र के साथ प्रस्तुत किया और लिफाफे पर **"व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण"** लिखा जाना चाहिए या **"व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण"** विषय के साथ ईमेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। यदि शिकायत इस प्रकार सुपरस्क्राइब और बंद नहीं की गई है, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, तो इस नीति के तहत व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं होगा।

सभी संरक्षित प्रकटीकरण कंपनी के सक्षम प्राधिकारी या अपवाद रूप मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को संबोधित किए जाने चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी का संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं: -

नाम और पता	श्री भीष्म वढेरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमेक्स स्क्वेयर, प्लॉट नं. 14 जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जसोला नई दिल्ली-110025
ई-मेल आईडी	chatwithbhisham-gpi@modi.com

सक्षम प्राधिकारी प्रावरण पत्र को अलग करेगा और केवल संरक्षित प्रकटीकरण को जांचकर्ताओं को जांच के लिए अग्रेषित करेगा।

6. **जांच और जांचकर्ताओं की भूमिका:-**

क) उठाए गए मामले की आंतरिक जांच हो सकती है या व्हिसल ब्लोअर द्वारा उठाई गई चिंता की प्रकृति के आधार पर एक बाहरी जांचकर्ता को संदर्भित की जा सकती है।

ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जांच का निर्णय स्वयं में आरोप नहीं है और इसे तटस्थ तथ्य-खोज प्रक्रिया के रूप में माना जाना है। जांच के परिणाम, व्हिसल ब्लोअर के इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकते हैं कि कोई अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया।

ग) सामान्य रूप से व्यक्तियों को औपचारिक जांच की शुरुआत में आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और जांच के दौरान अपने इनपुट प्रदान करने के अवसर मिलेंगे।

घ) व्यक्तियों का कर्तव्य होगा कि वे जांच के दौरान सक्षम प्राधिकारी या किसी भी जांचकर्ता के साथ सहयोग करें ताकि इस तरह के सहयोग से लागू कानूनों के तहत उपलब्ध स्व-दोषारोपण सुरक्षा से टकराव न हो।

ङ) व्यक्तियों को जांचकर्ताओं और/या लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों और/या व्हिसल ब्लोअर के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति या व्यक्तियों से परामर्श करने का अधिकार है। व्यक्ति जांच कार्यवाही में अपना पक्ष रखने के लिए

कभी भी अपने खर्च पर वकील नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, यदि व्यक्ति के खिलाफ आरोप टिकाऊ नहीं हैं, तो कंपनी को इस तरह की खर्च की भरपाई करने के कारण खोज सकती है।

च) व्यक्ति को जांच के परिणाम के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है।

छ) संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी और 45 दिनों से परे की किसी भी देरी का औचित्य जांच रिपोर्ट में बताया जाएगा।

जांचकर्ताओं की भूमिका निम्नानुसार होगी:

i. जांचकर्ताओं से तथ्यों की खोज और विश्लेषण की दिशा में प्रक्रिया का संचालन करने की अपेक्षा की जाती है।

ii. सभी जांचकर्ता वस्तुत: और धारणा के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष दोनों होंगे।

iii. जांचकर्ताओं का कर्तव्य निष्पक्षता, निष्पक्षता, संपूर्णता, नैतिक व्यवहार और कानूनी और पेशेवर मानकों का पालन करना है।

iv. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रारंभिक समीक्षा के बाद ही जांच शुरू की जाएगी।

v. जांचकर्ता हर समय कड़ी गोपनीयता बनाए रखेंगे।

vi. जांचकर्ता जांच का परिणाम प्राप्त करेगा और उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

vii. जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

7. <u>निर्णय:-</u>

अगर किसी जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुचित या अनैतिक कार्य किया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी कंपनी के प्रबंधन को लागू सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक या उपचारात्मक कार्रवाई करने और/या लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई आरंभ करने की सिफारिश करेगा।

इस नीति के अनुसार जांच के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप व्यक्ति के खिलाफ आरंभ की गई कोई भी अनुशासनिक या उपचारात्मक कार्रवाई में लागू कार्मिक या कर्मचारी आचरण और अनुशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में जांच से प्रतीत होता है कि संरक्षित प्रकटीकरण पर और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है, तो वह इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड पर लेगा।

8. <u>रिपोर्टिंग:-</u>

नीति के तहत प्राप्त शिकायतों की संख्या, की गई जांच और उनके परिणाम सहित एक त्रैमासिक रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जा जाएगी।

लेखापरीक्षा समिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार होगा।

9. <u>सुरक्षा:-</u>

इस नीति के तहत व्हिसल ब्लोअर द्वारा संरक्षित प्रकटीकरण किए जाने पर उससे कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। कंपनी, नीतिगत रूप से, व्हिसल ब्लोअर्स के खिलाफ अपनाए गए किसी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न, उत्पीड़न या नौकरी में किसी अन्य अनुचित व्यवहार की निंदा करती है।

कंपनी, संरक्षित प्रकटीकरण करने के परिणामस्वरूप व्हिसल ब्लोअर द्वारा अनुभव की जाने वाली परेशानियों को कम करने के लिए कदम उठाएगी।

व्हिसल ब्लोअर की पहचान कानून के तहत संभव और अनुमत सीमा तक गोपनीय रखी जाएगी।

उक्त जांच में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी व्हिसल ब्लोअर की तरह ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

10. <u>गोपनीयता:-</u>

इस नीति के तहत उठाई गई सभी चिंताओं और मुद्दों की पूर्ण, निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक सीमा के अतिरिक्त गोपनीय तरीके से व्यवहार किया जाएगा।

व्हिसल ब्लोअर, व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी, लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जांचकर्ता और प्रक्रिया में शामिल सभी लोग मामले की पूर्ण गोपनीयता/गुप्तता बनाए रखेंगे।

यदि किसी को उपर्युक्त का पालन नहीं करते हुए पाया जाता है, तो उसे ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई का भागी माना जाएगा, जो उचित समझी जाए।

11. <u>दस्तावेजों की रखवाली:-</u>

लिखित रूप में या उससे संबंधित जांच के परिणामों के साथ प्रलेखित सभी संरक्षित प्रकटीकरणों की कंपनी द्वारा सात साल की न्यूनतम अवधि के लिए रखवाली की जाएगी।

12. <u>अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के लीक होने के मामले में व्हिसल ब्लोइंग ("यूपीएसआई")</u>

i. यूपीएसआई के लीक होने की कोई भी घटना व्हिसल ब्लोअर के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह किसी भी माध्यमिक, अविश्वसनीय स्रोत जैसे अपुष्ट घटना या किसी अन्य प्रकार के अनौपचारिक संवाद पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

ii. व्हिसल ब्लोअर यूपीएसआई के लीक होने की रिपोर्ट ईमेल द्वारा अपनी ई-मेल आईडी पर "यूपीएसआई का लीक" विषय का उल्लेख करते हुए सक्षम प्राधिकारी को कर सकते हैं।

iii. रिपोर्टिंग के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी जांच के संचालन से पहले रिपोर्टिंग की वास्तविकता की जांच करेगा।

iv. यूपीएसआई लीक होने की रिपोर्टिंग की वास्तविकता का निर्धारण होते ही सक्षम प्राधिकारी, यूपीएसआई के लीक होने के मामले की जांच के लिए नीति के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

13. <u>संशोधन:-</u>

कंपनी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस नीति में पूर्णतया या आंशिक तौर पर संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। नीति में कोई भी संशोधन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन और कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

आर.ए. शाह	के.के. मोदी
(अध्यक्ष)	(प्रबंध निदेशक)